राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1369/2023

प्रभा जैन –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, सवाईमाधोपुर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक सवाईमाधोपुर, जिला सवाईमाधोपुर, राजस्थान।
6. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Khilchipur, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.02.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरीराज राजोरिया, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थिया का कथन है कि अपीलार्थिया को आदेश दिनांक 25.08.2022 के द्वारा अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–2 संस्कृत का मानते हुए महात्मा गांधी, राजकीय विद्यालय, Khilchipur, सवाईमाधोपुर से रा.उ.मा.वि. महुकलां, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर स्थानांतरित किया गया था, जबकि अपीलार्थिया ग्रेड–।।। लेवल–2, सामाजिक विज्ञान विषय के पद कार्यरत थी। जिस आदेश को अपीलार्थिया ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 4697/2022 में चुनौती दी है। इस अपील में अंतरिम आदेश दिनांक 02.11.2022 पारित कर आलौच्य आदेश दिनांक 25.08.2022 की क्रियान्विति इस आदेश के साथ स्थगित की थी कि अपीलार्थिया को वहीं कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत थी। अपीलार्थिया का कथन है कि उक्त आदेश के पश्चात अपीलार्थिया महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Khilchipur में ही कार्यरत है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थिया को जुलाई, 2022 तक का वेतन प्रदान किया गया है। उसके पश्चात अपीलार्थिया का वेतन अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान अपीलार्थिया दिनांक 07.11.2022 से दिनांक 04.03.2023 तक कुल 118 दिन के अर्द्धवेतन अवकाश पर रही थी। अपीलार्थिया का आगे कथन है कि अपीलार्थिया द्वारा

इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया है, जबकि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

2. हमनें अपीलार्थिया के उपरोक्त तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं अपीलार्थिया के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
3. यह स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है कि अपीलार्थिया को माह अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक की अवधि का वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थिया को वर्तमान पद से अथवा अन्य किसी रिक्त पद से नियमानुसार देय वेतन आहरित कर वेतन का भुगतान करें।
4. इस आदेश की पालना 10 दिवस में की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)